सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 435 / सो.आ.नि.-3/481/ 2019
दिनाँक: 10 जुलाई, 2019

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

महोदय,

दिनांक 17–07–2019 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से सोशल आडिट कार्यों की समीक्षा हेतु एक आवश्यक बैठक निदेशालय सभागार में आयोजित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न एजेण्डा बिन्दु के अनुसार सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। गत वित्तीय वर्षों में सोशल आडिट में पाई गई कमियों के सापेक्ष ए0टी0आर0 अपलोडिंग एवं धनराशि के दुरूपयोग/वित्तीय विचलन का जनपदवार विवरण समीक्षा, अनुश्रवण एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता) 17/7/19
निदेशक।

पत्रांकः /सो.आ.नि.– /2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

एजेण्डा बिन्दु

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सोशल आडिट टीमों का गठन एवं प्रशिक्षण।
2. बी0आर0पी0 पैनल की तैयारी एवं प्रशिक्षण की स्थिति।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में सम्पादित सोशल आडिट के सापेक्ष रिपोर्ट अपलोडिंग की समीक्षा।
4. अपलोड प्रतिवेदनों के सापेक्ष ए0टी0आर0 अपलोडिंग की स्थिति।
5. महात्मा गॉधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्षों में सम्पादित सोशल आडिट के सापेक्ष दुरूपयोग की गयी धनराशि की वसूली की समीक्षा।
6. वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम चक्र में सम्पादित की जा रही सोशल आडिट की प्रगति की समीक्षा।
7. वित्तीय वर्ष 2019–20 में द्वितीय चक्र में प्रस्तावित सोशल आडिट की कार्ययोजना पर चर्चा।
8. मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं ए0टी0आर0 के नियमित प्रेषण की समीक्षा।
9. वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा पूर्व के वर्षों में सोशल आडिट टीम के सदस्यों के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान की समीक्षा।
10. DSAC एवं BSAC के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान की समीक्षा।
11. BRPs द्वारा फैसिलिटेट कराये गए सोशल आडिट के सापेक्ष मांग पत्र एवं भुगतान की समीक्षा।
12. EPF की सूचना समय से उपलब्ध कराने की समीक्षा।
13. रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र की स्थिति की समीक्षा लम्बित।
14. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।